

राजस्थान-सरकार

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अभिलेख अधिकारी, चूरु**

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प लादड़िया



**-: आदेश :-**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी लादड़िया व भूअ.नि. शिरसला की रिपोर्ट तथा तहसीलदार चूरु / नायब तहसीलदार चूरु की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम लादड़िया तहसील चूरु व जिला चूरु की जमाबन्दी सम्वत् 2074-2074 में खाता संख्या 122 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	लादड़िया	122	अर्जुनराम पुत्र रावताराम हिस्सा 1/5 जातिजाट निवासी लादड़िया खातेदार राहिन हिस्सा 1/6 पूर्वखाला वड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रिको ऑद्योगिक क्षेत्र चूरु	अर्जुनराम पुत्र रावताराम हिस्सा 1/5 जातिजाट निवासी लादड़िया खातेदार राहिन हिस्सा 1/6 पूर्वखाला वड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रिको ऑद्योगिक क्षेत्र चूरु

पीठासीन अधिकारी  
भू-अभिलेख अधिकारी  
(एस.डी.ओ.)

क्रमांक :- 92/2021

दिनांक :- 12/10/21

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चूरु को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री अर्जुनराम पुत्र रावताराम जातिजाट निवासी लादड़िया को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

715760 935  
12.10.2021

भू-अभिलेख अधिकारी  
(एस.डी.ओ.)